अंक 1 अगस्त 2018

1945 से राष्ट्र सेवा में समर्पित

जलांश

केंद्रीय जल आयोग का मासिक सूचना पत्र

केन्द्रीय जल आयोग CENTRAL WATER COMMISSION आपो ज्योति रसोऽमृतम

संदेश

एस. मसूद हुसैन
अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग

केन्द्रीय जल आयोग के इस मासिक समाचार पत्र के प्रथम संस्करण को प्रकाशित करते हुए मुझे असीम सुख की अनुभूति हो रही है. पिछले कुछ महीनों में जल क्षेत्र में काफी कुछ घटित हुआ है. फरवरी 2018 माह के दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने कावेरी जल विवाद के मामले में अपना निर्णय सुनाया जिसमें कावेरी जल विवाद अधिकरण द्वारा वर्ष 2007 में किए गए जल के बंटवारे के फैसलों में थोड़ा परिवर्तन किया गया. इस निर्णय के अनुपालन किए जाने हेतु सरकार द्वारा एक नए संस्थागत तंत्र 'कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण' (सीडब्ल्यूएमए) का गठन किया गया है जिसे कावेरी जल विनियमन समिति (सीडब्ल्यूआरसी) का सहयोग प्राप्त रहेगा.

मुझे 02 जुलाई 2018 को केन्द्रीय जल आयोग मुख्यालय में आयोजित कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (सीडब्ल्यूएमए) की प्रथम सभा की अध्यक्षता करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जिससे कावेरी बेसिन में जल सहयोग के क्षेत्र में एक नए युग का प्रारंभ हुआ. बाद में 05 जुलाई और 19 जुलाई को मेरे सहयोगी श्री नवीन कुमार, मुख्य अभियंता, सिंचाई प्रबंधन संगठन (आईएमओ), केन्द्रीय जल आयोग की अध्यक्षता में कावेरी जल विनियमन समिति की दो बैठकें आयोजित हुईं. अब इन संस्थाओं के होने पर, भारत सरकार ने 28 वर्षों के बाद 1990 में गठित कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण को भंग कर दिया है.

मानसून के आगमन पर देश में अच्छी वर्षा हो रही है. यह कृषि अर्थव्यवस्था के लिए खुशी और लाभ की बात है कुछ स्थानों पर अत्यधिक वर्षा बाढ़ संबंधी नुकसानों का कारण भी बनती है. केन्द्रीय जल आयोग 22 राज्यों व केन्द्र शासित क्षेत्रों में फैले अपने 226 बाढ़ पूर्वानुमान स्टेशनों से आवश्यक बाढ़ पूर्वानुमान जारी कर नागरिक प्राधिकरणों का सहयोग करता है. भविष्य में इस नेटवर्क के और विस्तृत होने की उम्मीद है. इसके साथ साथ, तीन दिन पूर्व ही ऐसे पुर्वानुमान जारी किए जाने के लिए प्रायोगिक आधार पर संख्यात्मक माडलों का भी प्रयोग किया जा रहा है ताकि आपदा प्रबंधन कार्यों के संचालन हेतु पर्याप्त समय मिल सके. भविष्य में ऐसे माडलों को ज्यादा से ज्यादा आंकड़ें और सूचनाएं प्राप्त होने से इनके परिचालन में परिपक्वता आएगी. बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली को अधिक प्रभावशाली बनाए जाने के लिए केन्द्रीय जल आयोग ने सर्च इंजन, गूगल से गठजोड़ किया है. अब बाढ़ पूर्वानुमानों के लिए उच्च रिज़ॉल्यूशन डिजीटल एलीवेशन माडल (डीईएम), व्यापक गणना संसाधनों का प्रयोग व आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस मे गूगल की विशेज्ञता तथा केन्द्रीय जल आयोग द्वारा प्रदत बाढ़ पूर्वानुमान की सूचनाओं के आधार पर बाढ़ आप्लावन मानचित्रों को तैयार किया जाएगा. यह पहल देश में बाढ़ प्रबंधन के क्षेत्र में व बाढ़ से होने वाले नुकसानों को कम करने में मील का पत्थर साबित होगी.

जून 2018 माह में केन्द्रीय जल आयोग की दो नयी जल गुणवता प्रयोगशालाओं को एनएबीएल (NABL) से मान्यता मिली. दिल्ली और हैदराबाद स्थित ऐसी प्रयोगशालाओं को क्रमश: 2016 एवं 2017 में पहले ही यह मान्यता मिल चुकी है. अन्य प्रयोगशालाओं को भी मान्यता दिलाए जाने के प्रयास जारी हैं.

झारखंड राज्य के कुछ आकांक्षात्मक जिलों मे स्थित 31 सिंचाई परियोजनाओं की पूर्व व्यवहार्यता रिपोर्ट (पी एफ आर) केन्द्रीय जल आयोग तैयार कर चुका है. इनकी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार किए जाने का कार्य प्रगति पर है. जल संसाधनों के विकास हेतु केन्द्रीय जल आयोग द्वारा परामर्शी सेवाएं देश में ही नही बल्कि पड़ोसी देशों जैसे भूटान और नेपाल को भी दी जा रही हैं.

जलांश' के इस प्रथम संस्करण में बहुत कुछ देखा जा सकता है मुझे आशा है कि प्रबुद्ध पाठकगण जल क्षेत्र के विषय में इस सूचना पत्र के माध्यम से अत्यंत लाभांवित होंगे. मैं स्वतंत्रता दिवस पर सभी को हार्दिक बधाई देता हूँ.

मसूद हुसैन

विशेष

- केजआ और गूगल के बीच समझौता पत्र पर हस्ताक्षर
- कावेरी जल साझा
- परियोजना स्वीकृति
- बाढ़ पूर्वानुमान
- जलाशय भंडारण निगरानी
- परियोजना निगरानी
- एनएबीएल मान्यता
- परामर्शी सेवाएं
- मीडिया में केजआ
- गैलरी
- प्रशासनिक समाचार
- केजआ - इतिहास के पन्नों से

के ज आ और गूगल के बीच समझौता पत्र पर हस्ताक्षर

गूगल के प्रतिनिधि के साथ श्री नितिन गडकरी, मंत्री जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण (ज सं, न वि और गं सं), डाक्टर सत्यपाल सिंह, राज्य मंत्री, ज सं, न वि और गं सं, मंत्रालय, श्री यू पी सिंह, सचिव, ज सं, न वि और गं सं मंत्रालय, श्री वाई के शर्मा, सदस्य (नदी प्रबंधन), केन्द्रीय जल आयोग (दाँयें से बाँयें).

जन साधारण में बाढ़ पूर्वानुमान और बाढ़ संबंधी सूचनाओं के प्रसार के लिए जून 2018 में केन्द्रीय जल आयोग और सर्च इंजिन गूगल के बीच एक सहयोग समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है. इस पहल से भारत में बाढ़ संकट से निपटने वाली एजेन्सियों को अत्यधिक जल विज्ञानीय घटनाओं से प्रभावशाली ढ़ंग से निपटने में सहायता मिलेगी

गइस समझौते के अनुसार, केजआ गूगल द्वारा आर्टीफिशीयल इंटैलीजेन्सी (एआई), मशीन लर्निंग व जियो स्पेशियल मैपिंग (geo-spatial mapping) के क्षेत्रों में की गई अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का लाभ निम्नलिखित रूप में उठाएगा :-

1. बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली में पर्याप्त सुधार ताकि बाढ़ संभावित क्षेत्र की सटीक स्थिति और उठाए जाने वाले कदमों के बारे में चेतावनी दी जा सके

2. गूगल अर्थ का प्रयोग करके बाढ़ का अनुमान लगाना व बाढ़ के प्रबंधन के लिए उच्च प्राथमिकता के आधार पर अनुसंधान परियोजना बनाने में

3. भारत की नदियों की आनलाइन प्रदर्शनी हेतु सांस्कृतिक परियोजना.

इस सहयोग व्यवस्था के अंतर्गत गूगल केन्द्रीय जल आयोग से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर बाढ़ पूर्वानुमानों के लिए अपने हाई रिजाल्यूशन डिजीटल माडल एलीवेशन (डीईएम), व्यापक गणना संसाधनों का प्रयोग व आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस के क्षेत्र में अपनी विशेषज्ञता का उपयोग करके बाढ़ आप्लावन नक्शों को तैयार करेगा. संभावित आप्लावन के विस्तार व गहराई के संबंध में ऐसी सूचनाएं लगभग तीन दिन पहले प्राप्त हो जाएंगी.

यह सहयोगी व्यवस्था कई करोड़ रुपये बचाएगी जो सरकार द्वारा उच्च रिजॉल्यूशन डिजिटल एलिवेशन मॉडल (डीईएम), उच्च कम्प्यूटेशनल संसाधनों और व्यापक रूप से जनता द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्रसार प्लेटफार्मों को विकसित करने पर खर्च की जाती.

इस सहयोग से सरकार व आपदा प्रबंधन संगठनों को बाढ़ सभावित क्षेत्रों और उससे प्रभावित जनसंख्या के संबंध में अग्रिम सूचनाएं प्राप्त हो सकेंगी और उन्हें समय पर सूचना व चेतावनी मिल सकेगी. इस पहल से देश में बाढ़ प्रबंधन के क्षेत्र में व बाढ़ से होने वाले नुकसानों के कम करने में अत्यंत सहायता मिलने की संभावना है.

कावेरी जल बंटवारा

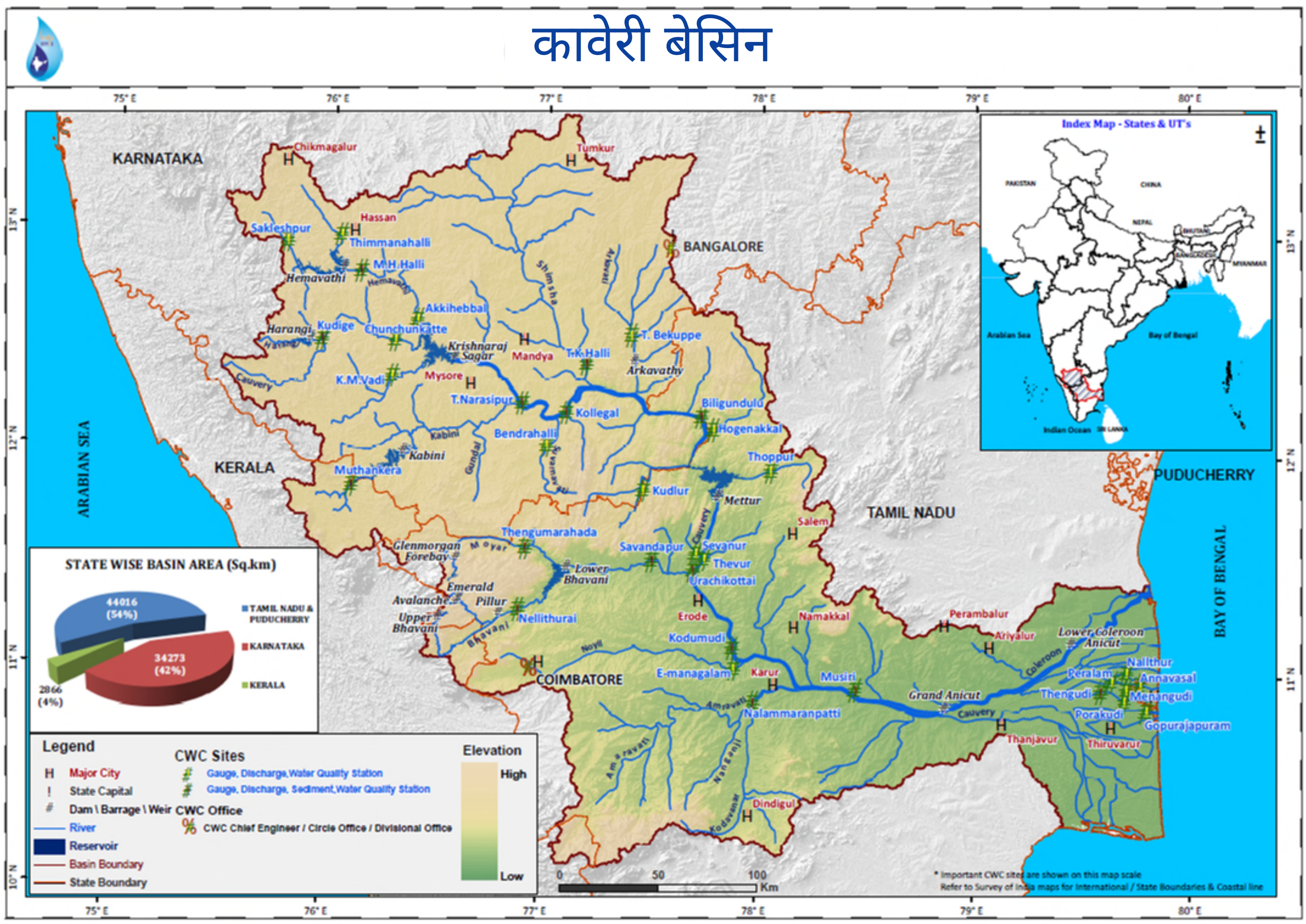

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 16 फरवरी 2018 दिए गए अपने फैसले में कावेरी जल विवाद प्राधिकरण द्वारा किए गए कावेरी जल के बंटवारे में मामूली संशोधन किया है. सर्वोच्च न्यायालय ने इस संशोधित निर्णय के अनुपालन के लिए केन्द्र सरकार को एक योजना बनाए जाने के आदेश भी दिए.

तदनुसार सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 16 फरवरी 2018 के दिए गए इस निर्णय के अनुपालन के लिए केन्द्र सरकार ने एक कावेरी जल प्रबंधन योजना बनाई. (इस पूरी अधिसूचना को http://egazette.nic.in/WriteReadData/2018/186059.pdf) पर देखा जा सकता है. इस अधिसूचना के अनुसार कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (सीडब्ल्यूएमए) का सृजन किया गया है जिसे कावेरी जल विनियमन समिति (सीडब्ल्यूआरसी) का सहयोग प्राप्त होगा. कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (सीडब्ल्यूएमए) का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा जबकि कावेरी जल विनियमन समिति बेंगलुरु से कार्य करेगी.

कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण के वर्तमान सदस्यों का विवरण बगल की तालिका में दिया गया है. इसके अतिरिक्त श्री ए. एस. गोयल, मुख्य अभियंता, यमुना बेसिन संगठन, केन्द्रीय जल आयोग इस समिति के सचिव (अतिरिक्त प्रभार) के तौर पर कार्य करेंगे.

सी डब्ल्यू एम ए के वर्तमान सदस्य

1	श्री एस मसूद हुसैन, अध्यक्ष, केजआ	अध्यक्ष (अतिरिक्त प्रभार)
2	श्री नवीन कुमार, मुख्य अभियंता, सिंचाई प्रबंधन संगठन, केजआ	सदस्य (जल संसाधन) (अतिरिक्त प्रभार)
3	संयुक्त सचिव (आरडी एंड पीपी) (ज सं, न वि और गं सं मंत्रालय)	अंश कालिक सदस्य
4	आयुक्त (कृषि), कृषि एव किसान कल्याण मंत्रालय	सदस्य (कृषि) (अतिरिक्त प्रभार)
5	संयुक्त सचिव (आरएफएस), कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग	अंश कालिक सदस्य
6	श्री राकेश सिंह, प्रधान सचिव, डब्ल्यूआरडी, कर्नाटक सरकार	अंश कालिक सदस्य
7	श्रीमती टिंकु विसवाल, सचिव, डब्ल्यूआरडी, केरल सरकार	अंश कालिक सदस्य
8	श्री अनबरासू, विकास आयुक्त एवं सचिव (लोक कार्य), पुडुचेरी सरकार	अंश कालिक सदस्य
9	श्री एस के प्रभाकर, प्रधान सचिव, पीडब्ल्यूडी, तमिलनाडु सरकार	अंश कालिक सदस्य

का. ज. प्र. प्रा. की बैठक

का.ज.प्र.प्रा.की प्रथम बैठक 02 जुलाई 2018 को नई दिल्ली में श्री एस. मसूद हुसैन, अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई.

इस बैठक में प्राधिकरण के सभी सदस्य उपस्थित रहे. प्राधिकरण ने सर्वसम्मति से केन्द्रीय जल आयोग के अंतर्गत आने वाले बिल्लीगुन्डूलू नामक साइट पर एक सामान्य वर्ष के लिए संशोधित मासिक जल की मात्रा को निर्धारित किया.

एक सामान्य वर्ष में जून और जुलाई माह के लिए केन्द्रीय जल आयोग के बिल्लीगुन्डूलू साइट पर पानी की सुनिश्चित किए जाने वाली संशोधित मासिक मात्रा क्रमश: 9.19 और 31.24 टीएमसी है.

बिल्लीगुन्डूलू को जून 2018 के दौरान प्राप्त जल की कुल संचित मात्रा 13.29 टीएमसी थी जो कि एक सामान्य वर्ष में निर्धारित मात्रा से 4.10 टीएमसी ज्यादा है. विस्तार से हुई चर्चा के उपरांत प्राधिकरण ने कर्नाटक सरकार को निर्देश दिए कि जुलाई 2018 में बिल्लीगुन्डूलू को बाकी मात्रा अर्थात 27.14 टीएमसी, जल देना सुनिश्चित करे.

कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण की प्रथम बैठक की अध्यक्षता करते हुए अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग

कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण की प्रथम बैठक के बारे में मीडिया को संबोधित करते हुए अध्यक्ष, केजआ, श्री नवीन कुमार, मुख्य अभियंता (सिंचाई प्रबंधन संगठन) एवं श्री ए एस गोयल, मुख्य अभियंता (वाईबीओ)

कावेरी जल विनियमन समिति के वर्तमान सदस्य

1	श्री नवीन कुमार, मुख्य अभियंता, आईएमओ, केजआ	सदस्य (जल संसाधन) (अतिरिक्त भार)
2	श्री एच एल प्रसन्ना, प्रबंध निदेशक, कावेरी नीरावरी निगम लिमिटेड	सदस्य
3	श्री के ए जोशी, मुख्य अभियंता, आईएसडब्ल्यू, केरल सरकार	सदस्य
4	श्री वी शानमुगासुन्दरम, मुख्य अभियंता, पीडब्ल्यूडी, पुडुचेरी सरकार	सदस्य
5	श्री आर सेन्थिल कुमार, मुख्य अभियंता, डब्ल्यूआरडी, तिरुचिरापल्ली क्षेत्र, तमिलनाडु सरकार	सदस्य
6	डा. एम मोहापात्रा, वैज्ञानिक जी (सेवाएं), आईएमडी	सदस्य
7	श्री एन एम कृष्णाउन्नी, मुख्य अभियंता, सी एंड एस आर ओ, केजआ, कोयम्बतूर	सदस्य
8	आयुक्त (बागवानी), कृषि एव किसान कल्याण मंत्रालय	सदस्य
9	श्री ए एस गोयल, मुख्य अभियंता, वाई बी ओ, केजआ	सदस्य सचिव (अतिरिक्त भार)

का.ज.वि.स (सीडब्ल्यूआरसी) की बैठकें

जुलाई 2018 में सीडब्ल्यूआरसी के दो बैठकें नई दिल्ली में हुईं. प्रथम बैठक 05 जुलाई 2018 को हुई, जिसमें समिति के सभी सदस्य उपस्थित थे, और दूसरी बैठक 19 जुलाई 2018 को सम्पन्न हुई.

श्री नवीन कुमार, मुख्य अभियंता (सिंचाई प्रबंधन संगठन) एवं अध्यक्ष (कावेरी जल विनियमन समिति), श्री एन एम कृष्णाउन्नी, मुख्य अभियंता (कावेरी और दक्षिणी नदियों संगठन) कावेरी जल विनियमन समिति की सभा के पश्चात् मीडिया को संबोधित करते हुए.

परियोजना स्वीकृति

06 जून 2018 को श्री यू पी सिंह, सचिव जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण की अध्यक्षता में जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय की सलाहकार समिति द्वारा कुल रुपए 84,748 करोड़ की लागत से बनाए जाने वाली छः राज्यों/केंद्र शासित क्षेत्र की दो वृहद सिंचाई/बहुद्देशीय परियोजनाओं और चार बाढ़ प्रबंधन योजनाओं व मास्टर प्लान को स्वीकृत किया गया. स्वीकृत परियोजनाओं का ब्यौरा सारिणी में दर्शाया गया है.

परियोजना का नाम	राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र	वर्ग	लाभान्वित क्षेत्र/जिले	लाभ	लागत (करोड़ रुपयों में)
अपर प्रवारा (नीलवान्डे-II)	महाराष्ट्र	संशोधित बृहद परियोजना	अहमदनगर, नासिक	सीसीए-86100 हेक्टेयर पावर-11.6 मेगावाट, पेय जल-13.15 एमसीएम	2232.62 (संशोधित)
कालेश्वरम परियोजना	तेलंगाना	नयी बृहद परियोजना	करीमनगर, राजनासिरशिला, सिदिपेट, मेडक, यादाद्री-भोंगीर, नालगोंडा, संगारेड्डी, निज़ामाबाद, जगितयाल, कामारेडी, निर्मल, मेडचल, पेडापल्ली	सीसीए-738851 हे. पेय जल-1133 एमसीएम(हैदराबाद, सिकन्दराबाद और रास्त में पड़ने वाले गाँव) औद्योगिक जल 453 एमसीएम	80190.46
महानंदा बांध प्रबधन योजना, फेज-2	बिहार	बाढ़ नियंत्रण	पुर्निया, कठियार, किशनगंज, अररिया	114000 हेक्टेयर	791.066
सरकाघाट तहसील में बर्चावार से जहु ब्रिज तक सीर खड्ड का बाढ़ सुरक्षा/ तटीकरण	हिमाचल प्रदेश	बाढ़ नियंत्रण	मंडी	115 हेक्टेयर	157.66
यनम में बाढ़ सुरक्षा निर्माण कार्य	पुडूचेरी	बाढ़ नियंत्रण	यनम	3000 हेक्टेयर	137.28
पूर्वी और पश्चिमी मिदनापुर में घटल मास्टर योजना, फेज-1 का कार्य	पश्चिम बंगाल	बाढ़ नियंत्रण	पूर्वी और पश्चिमी मिदनापुर	65700 हेक्टेयर	1238.95

रुपए 80190.46 करोड़ की अनुमानित लागत से बनाए जाने वाले तेलगांना राज्य की कालेश्वरम परियोजना के अंतर्गत गोदावरी नदी के 195 टीएमसी जल (5522 लाख घन मीटर) के अपवर्तन (डायवर्जन) का कार्य शामिल है जिससे कुल 31 जिलों में से 13 जिलों की 18.25 लाख एकड़ भूमि को सिंचाई का लाभ मिलेगा. साथ ही साथ यह परियोजना विभिन्न परियोजनाओं के अंतर्गत आने वाली 18.82 लाख एकड़ भूमि को भी स्थिरीकरण प्रदान करेगा. इसके अतिरिक्त, यह परियोजना रास्ते में पड़ने वाले हैदराबाद, सिकन्दराबाद और गांवों को 40 टीएमसी (1133 एमसीएम) पेय जल तथा 16 टीएमसी (453 एमसीएम) औद्योगिक जल भी मुहैया करेगा.

श्री यू पी सिंह, सचिव, ज सं, न वि और गं सं मंत्रालय, सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए

बाढ़ पूर्वानुमान

केन्द्रीय जल आयोग देश में बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं के डिजाइन तथा योजना तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है.भारत सरकार, बाढ़ की क्षति को कम करने के लिए संरचनात्मक उपायों के साथ—साथ, गैर संरचनात्मक उपायों पर समानांतर जोर देती है और ऐसा ही एक उपाय बाढ़ का पूर्वानुमान लगाना है, जिसमें बाढ़ के अंतर्वाह का पुर्वानुमान/स्तर का पूर्वानुमान शामिल है. आपदा प्रबंधन संबंधी गतिविधियों में से एक के रूप में बाढ़ के पूर्वानुमान के महत्व को समझते हुए, गृह मंत्रालय, जो कि आपदा प्रबंधन से संबंधित गतिविधियों के लिए नोडल मंत्रालय है, ने बाढ़ के संबंध में सूचना प्रसार के लिए लाइन विभाग के रूप में केंद्रीय जल आयोग की पहचान की है. वर्तमान में केन्द्रीय जल आयोग के पास 226 बाढ़ पूर्वानुमान स्टेशन हैं जिनमें भविष्य में निम्नानुसार बढ़ोतरी की जाएगी:

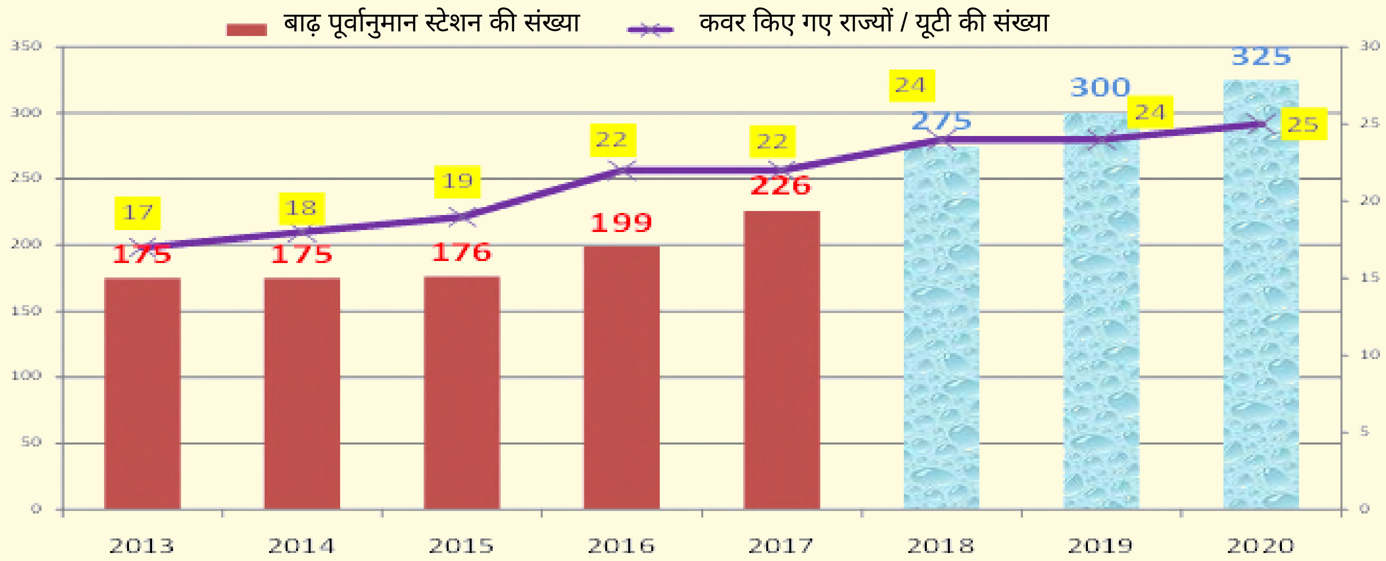

बाढ़ वर्ग

वर्ग	स्तर
I	चरम-उच्चतम बाढ़ स्तर से अधिक जल स्तर
II	गंभीर-उच्चतम बाढ़ स्तर एवं खतरे के स्तर के बीच का जल स्तर
III	सामान्य से ऊपर-खतरे के स्तर एवं चेतावनी स्तर के बीच का जल स्तर
IV	सामान्य-चेतावनी स्तर से नीचे जल स्तर

बाढ़ पूर्वानुमान प्रसार मोड

http://india-water.gov.in/ffs

/cwccfcr

Emergency Flood Messages

@FFM_CWC

Google Public Alerts
(www.cwc-captool.appspot.com)

Special Messenger, Email, SMS

नदी पर बने बाढ़ पूर्वानुमान स्टेशन पर जल के खतरे के निशान से ऊपर पहुँचते ही केन्द्रीय जल आयोग जल बाढ़ की स्थिति की सूचना प्रसारित कर देता है. उच्चतम बाढ़ स्तर, खतरे का स्तर और जल स्तर के आधार पर बाढ़ की परिस्थिति को वर्गों में बांटा गया है जैसे सामान्य से ऊपर, गंभीर और चरम. ऐसी सूचनाओं के साथ पानी के बहाव की प्रवृति जैसे वह उफान पर है, स्थिर है अथवा गिर रहा है, को भी बताया जाता है. उपर्युक्त के अतिरिक्त, चुनिंदा जलाशयों में जल के अंतर्वाह के अनुमान भी प्रसारित किए जाते हैं. इस वर्ष 01 मई 2018 से ब्रह्मपुत्र और बराक बेसिनों में बाढ़ पूर्वानुमान नियमित रूप से प्रसारित किए जा रहे हैं. 01 मई से 21 जुलाई 2018 तक की अवधि के दौरान कुल मिलाकर 1493 अनुमान प्रसारित किए गए जिनमें से 1407 (94.24 प्रतिशत) लगभग सटीक पाए गए

01 मई से 21 जुलाई 2018 अवधि के दौरान प्रसारित बाढ़ स्थितियों का सारांश:

कैलाशाहार बाढ़ पूर्वानुमान स्टेशन (उत्तरी त्रिपुरा) मनु नदी में बाढ़ की चरम सीमा रही. इसी नदी की यह स्थिति उत्तरी त्रिपुरा के मनुघाट में भी बनी रही. इसके अतिरिक्त, धलेश्वरी नदी, हेलाखांडी जिला (असम), परियार नदी, इदुकी जिला (केरल) और मीनाचिल नदी, कोटयाम जिला (केरल) में यही स्थिति रही. असम, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और जम्मू-कश्मीर में स्थित 29 बाढ़ पूर्वानुमान स्टेशनों ने गंभीर बाढ़ स्थितियों का अवलोकन किया. असम, त्रिपुरा, पश्चिमी बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, ओडिशा और आंध्र प्रदेश स्थित 26 बाढ़ पूर्वनमान स्टेशनों ने सामान्य से ऊपर बाढ़ स्थिति का अवलोकन किया.

वर्ष 2014 से केन्द्रीय जल आयोग की बाढ़ पुर्वानुमान वेबसाइट बाढ़ सबंधी पूर्वानुमानों को शीघ्रता से प्रसारित करने का एक महत्वपूर्ण साधन बन गयी है. 2016 से इस कार्य हेतु केन्द्रीय जल आयोग ने गूगल के “कामन अर्लटिंग प्रोटोकोल” का भी प्रयोग करना शूरू कर दिया है. वर्षा-अपवाह से संबंधित 3 दिवसीय ‘एडवाईजरी’ जारी किए जाने का कार्य भी वर्ष 2017 से प्रारंभ हो चुका है. केन्द्रीय जल आयोग ने सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, ट्विटर और वाट्सएप का प्रयोग बड़े पैमाने पर शुरु कर दिया है.

जलाशय भंडारण निगरानी

केन्द्रीय जल आयोग साप्ताहिक आधार पर देश के 91 प्रतिनिधि जलाशयों की सक्रिय भंडारण स्थितियों की निगरानी करता है और प्रत्येक गुरूवार को इस संबंध में साप्ताहिक बुलेटिन जारी करता है. इनमें से 37 जलाशय जलविद्युत का लाभ प्रदान करते हैं जिनकी संस्थापित क्षमता 60 मेगावाट से ज्यादा है. 91 भंडारण जलाशयों की कुल सक्रिय भंडारण क्षमता 161.993 अरब घन मीटर (बीसीएम) है जो कि देश भर में बनाई गई कुल अनुमानित सक्रिय भंडारण क्षमता 257.812 अरब घन मीटर (बीसीएम) का 63 प्रतिशत है. 26 जुलाई 2018 को जारी बुलेटिन के अनुसार इन जलाशयों की उपलब्ध भंडारण क्षमता 63.333 बीसीएम है जो कि इन जलाशयों के कुल सक्रिय भंडारण क्षमता का 41 प्रतिशत है. यही क्षमता पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान 58.910 अरब घन मीटर (बीसीएम) थी और पिछले 10 वर्षों का औसत भंडारण 57.212 अरब घन मीटर (बीसीएम) था. इस प्रकार, 26 जुलाई 2018 को जारी बुलेटिन के अनुसार इन 91 जलाशयों की यह क्षमता पिछले वर्ष इसी अवधि की उपलब्ध भंडारण क्षमता का 113 प्रतिशत व पिछले 10 वर्षों के औसत भंडारण का 116 प्रतिशत है. जुलाई माह के दौरान इन जलाशयों के भंडारण में बहुत तेजी से वृद्धि हुई जो 41 प्रतिशत तक पहुँच गयी.

जून जुलाई 2018 के दौरान जलाशय भंडारण

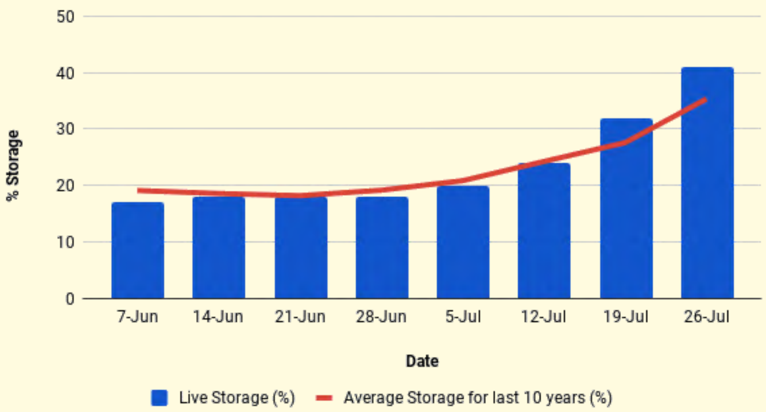

विशेष	बीसीएम
अनुमानित निर्मित संग्रहण क्षमता	257.81
केजआ द्वारा निगरानी किया जा रहा संग्रहण क्षमता	161.99
26.07.2018 को संग्रहण	63.33

> No water, no life.
> No blue, no green.
>
> Sylvia Earle

परियोजना निगरानी

के जा आ अपने मुख्यालय और फील्ड कार्यालयों के माध्यम से देश मे चल रही जल संसाधन परियोजनाओं की निगरानी करता है। इससे परियोजना मे आ रही रुकवटों की पहचान करने में मदद होती है यह भी सुनिश्चित होता है कि धन का सही उपयोग किया जा रहा है और आगे धन की आवश्यकताओं का आकलन करने के लिए आधार बनता है.

वर्ष 2017-18 के दौरान, प्रधानमंत्री कृषि सिचाई योजना (PMKSY) - त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (AIBP) के तहत प्राथमिकता वाली परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय जल आयोग की क्षेत्रीय इकाइयों द्वारा कुल 141 प्रबोधन यात्राएँ की गईं. 2016-17 के दौरान यह आंकड़ा 155 यात्राओं का था। 2016-17 के दौरान, परियोजनाओं की निगरानी और प्रगति में तेजी लाने के लिए, अतिरिक्त नए प्रवेशक पहली बार इस गतिविधि में लगाए गए थे और केन्द्रीय जल आयोग के युवा सहायक निदेशकों एवं उप निदेशकों द्वारा 47 निगरानी दौरे किए गए थे.

वर्ष 2016-17 के दौरान प्रधानमंत्री कृषि सिचाई योजना (PMKSY) - त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (AIBP) के अंतर्गत 3307.88 करोड़ रु की केंद्रीय सहायता जारी की गई है. इसके अलावा, 2017-18 के दौरान रु 3593.601 करोड़ जारी किए गए हैं.

मार्च 2017 तक 7.6283 मिलियन हेक्टेयर की कुल सिंचाई क्षमता के निर्माण के लक्ष्य मे से 5.001 मिलियन हेक्टेयर को पूरा कर लिया गया है. जैसा कि राज्य सरकारों द्वारा सूचित किया गया है, प्राथमिकता वाली 99 परियोजनाओं में से 31 परियोजनाओं को पूर्ण घोषित किया गया है.

जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय द्वारा PMKSY-AIBP डैशबोर्ड बनाया गया है जो चल रही परियोजनाओं के प्रगति के संदर्भ में आसान विश्लेषण में मदद करता है। (url: http://164.100.94.58/aibp/)

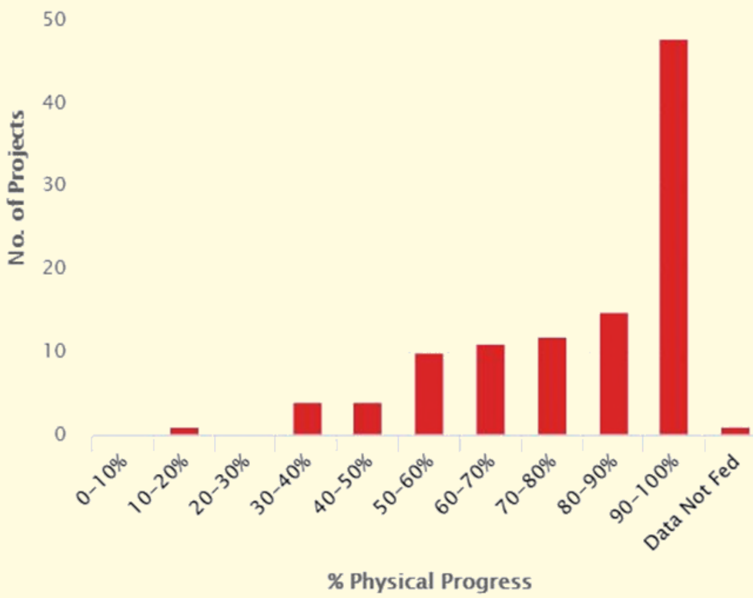

एनएबीएल मान्यता

जल की गुणवत्ता जल संसाधन साधनों के मूल्यांकन का एक महत्वपूर्ण पहलू है. केन्द्रीय जल आयोग सम्पूर्ण देश में फैली प्रयोगशालाओं के माध्यम से जल की गुणवता पर निगरानी रखता है. इन प्रयोगशालाओं में पानी के नमूनों को जाँचने के लिए प्रत्येक स्तर पर कई तरह की सुविधाएं हैं. प्रथम स्तर की प्रयोगशालाएं जल अवलोकन किए जाने वाले स्थान पर ही प्राथमिक भौतिक पैरामीटर परीक्षण सुविधाओं के नजदीक स्थित हैं. इसके अतिरिक्त, संस्थापित प्रयोगशालों में जल की भौतिक, रासायनिक, जैविक पैरामीटर, भारी धातुओं और विषाक्त पदार्थों की जाँच किए जाने हेतु उच्च स्तरीय उपकरणों की सुविधाएं उपलब्ध हैं. इन प्रयोगशालाओं के स्तर को आश्वस्त करने के लिए इन्हें नैशनल एक्रेडेशन बोर्ड फार टैस्टिंग एंड कैलीब्रेशन लैबोरेट्रीज (एन ए बी एल) की मान्यता प्राप्त है. आईएसओ/ आईईसी 17025:2005 के अंतर्गत निर्धारित मानकों के अनुसार केन्द्रीय जल आयोग की कोयम्बतूर व वाराणसी स्थित जल गुणवता जाँच प्रयोगशालाओं को एन ए बी एल मान्यता मिली. नई दिल्ली स्थित केन्द्रीय जल आयोगी की राष्ट्रीय नदी जल गुणवत्ता प्रयोगशाला प्रथम प्रयोगशाला थी जिसे इन मानकों के अंतर्गत वर्ष 2016 में एनएबीएल मान्यता मिली थी. वर्ष 2018 में इस प्रयोगशाला की मान्यता को अगले दो वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है. हैदराबाद स्थित प्रयोगशाला को वर्ष 2017 में मान्यता मिली.

National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories
(A Constituent Board of Quality Council of India)

NABL | QCI | ilac-MRA

CERTIFICATE OF ACCREDITATION

LOWER CAUVERY WATER QUALITY LABORATORY, CENTRAL WATER COMMISSION

has been assessed and accredited in accordance with the standard

ISO/IEC 17025:2005

"General Requirements for the Competence of Testing & Calibration Laboratories"

for its facilities at

Southern Rivers Division, Sangamam, Gandhimaanagar, Peelamedu Post, Coimbatore, Tamil Nadu

in the field of

TESTING

Certificate Number TC-7437
Issue Date 22/06/2018 Valid Until 21/06/2020

This certificate remains valid for the Scope of Accreditation as specified in the annexure subject to continued satisfactory compliance to the above standard & the relevant requirements of NABL.
(To see the scope of accreditation of this laboratory, you may also visit NABL website www.nabl-india.org)

Signed for and on behalf of NABL

89076970100030001507

Anil Relia
Chief Executive Officer

National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories
(A Constituent Board of Quality Council of India)

NABL | QCI | ilac-MRA

CERTIFICATE OF ACCREDITATION

UPPER & MIDDLE GANGA WATER QUALITY LABORATORY, CENTRAL WATER COMMISSION

has been assessed and accredited in accordance with the standard

ISO/IEC 17025:2005

"General Requirements for the Competence of Testing & Calibration Laboratories"

for its facilities at

Middle Ganga Division-3, Akashdeep, Pannalal Park, Varanasi, Uttar Pradesh

in the field of

TESTING

Certificate Number TC-7416
Issue Date 22/06/2018 Valid Until 21/06/2020

This certificate remains valid for the Scope of Accreditation as specified in the annexure subject to continued satisfactory compliance to the above standard & the relevant requirements of NABL.
(To see the scope of accreditation of this laboratory, you may also visit NABL website www.nabl-india.org)

Signed for and on behalf of NABL

89076970100030001506

Anil Relia
Chief Executive Officer

एनएबीएल से प्रमाणीकरण के प्रमाण पत्र

परामर्शी सेवाएं

900 मेगा वाट बिजली उत्पादन हेतु नेपाल में कोसी नदी की एक सहायक नदी अरूण पर अरूण-3 परियोजना का निर्माण प्रस्तावित है. डिजाइन, इंजीनियरिंग एवं परामर्शी सेवाएं के लिए इस परियोजना के डेवलेपर मैसर्स एसजेवीएन लिमिटेड और केन्द्रीय जल आयोग की बीच एक समझौता हुआ है. 24 जून से 30 जून, 2018 के दौरान सदस्य (अभिकल्प एवं अनुसंधान) केजआ के नेतृत्व में केजआ की टीम परियोजना स्थल का दौरा करते हुए

18 जुलाई 2018 को श्री गुलशन राज, मुख्य अभियंता, डीएसओ, केजआ, नई दिल्ली अन्य विशेषज्ञों के साथ काबिनी बांध का निरीक्षण करते हुए.
इस बांध पर वर्तमान में रेडियल गेटों के स्थान पर स्टाप-लाग गेटों को लगाए जाने की व्यवहारिकता की जाँच की जाएगी.

पुनात्सांग्चु-1 और 2 भारत और भूटान का संयुक्त उद्यम हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना है. केन्द्रीय जल आयोग इसके निर्माण में सिविल और यांत्रिकी डिजाइन परामर्शी सेवाएं प्रदान कर रहा है. केजआ के अधिकारी पुनात्सांग्चु-1 (6 **X** 200 मेगावाट) और पुनतसंघचू-2 (6 **X** 170 मेगावाट) हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजनाओं का दौरा करते हुए.

केजआ मीडिया में

'Anti-dam protests misplaced'

With over three decades' experience in dealing with India's water resources sector, Central Water Commission (CWC) chairman S Masood Hussain can be called the 'water-man of India'. He blames the country's perennial water crisis on what he terms self-appointed champions of anti-dam activists. Hussain, who also holds additional charge as Director General, National Water Development Agency, said much of the country's water woes could have been addressed if a network of dams had come up across the country. In an interview to DIPANKAR CHAKRABORTY, he said that the CWC, for the first time, would not only predict floods but also the areas it would hit using state-of-the-art technology and space science data. Excerpts:

Q: What is the significance of the 9th International micro irrigation conference titled 'Micro Irrigation in Modern Agriculture' to be held in India?

A: We have to increase water use efficiency in agriculture. Use of micro-irrigation such as drip or sprinkler irrigation is one of the most effective ways of increasing water use efficiency. This will help save water and enhance productivity. Since water use efficiency in India is low the conference will help the cause of micro-irrigation. Micro-irrigation is very effectively being used successfully in the use of Narmada water in Rajasthan. The Water Resource Ministry is engaged in promoting micro-irrigation across the country.

Q: What is reservoir storage monitoring system and how useful is it?

A: We carry out monitoring of 91 major reservoirs in the country comprising about 65 per cent of the total storage. We have over 5,000 small and big dams. The monitoring enables us and state governments to plan water releases. Every Thursday evening, we release the latest data.

Q: India is facing a severe water scarcity. Your data till April 2018 shows overall water storage has been less than the 'average storage' of the last decade. Is the situation really alarming?

A: There is definitely a shortage in the volume of water in reservoirs when we compare it to 10 years' average. But it may not alone suffice to understand the water position. Rainfall has been deficient, in summer, winter and monsoon, in the past 2 to 3 years. Factors like last year's rainfall and water taken out of reservoirs have to be seen together. The storage is thus not absolute, it depends on how much water you are drawing.

Q: Is the rainfall shortage attributable to climate change and other environmental factors?

A: It has become fashionable these days to attribute all such rainfall shortage to climate change. First you have to see the natural phenomenon has an in-built variation in itself. It would thus be harsh to attribute it to any specific factor like climate change. Climate change is shifting the location, not availability, and here the availability of water is less.

Q: What is the role of dams in the management of water resources? You have been a strong votary of building dams.

A: Development of water resources and management are two important aspects of water resources. Development of water resources means creation of more water storage through creation of more dams. An overwhelming quantity of water comes during the monsoon season. Unless we store this water, we cannot use it. There is a need to create more water storage. Over a period of time there has been a resistance to building dams to create water storage. Such protests are misplaced.

Q: These protests are over the likely seismic impact of building dams.

A: As water resources engineers, we feel these protests against the creation of larger reservoirs are all misplaced. Some of our environmentalists or so-called activists not only in India but other countries have misled the people. I don't want to name anybody but there is an entire lobby of environmentalists.

Q: Why do we need only dams as means of water storage?

A: Without big dams or reservoirs whatever prosperity we have been observing around us would not have been possible. The green revolution would not have been possible without Bhakra or other dams. We have already wasted too much water in the irrigation sector in the absence of proper water management. We need to know the use of other systems such as automation of canals. We have to adopt modern water usage practices which we have not been able to do so far.

Q: We need rain water to fill up water reservoirs or dams. But rainfall pattern has been very encouraging in this regard to ensure a regular flow of water...

A: These reservoirs or dams are site specific. Where there are suitable sites and valleys we can build dams. We have identified numerous such valleys in the country where we can build dams to store water, including the north-eastern states of the country. We have a lot of potential in the north-eastern region for building dams, which will be multipurpose projects. There are potential sites. Because of resistance of the local people and some other reasons these dam projects could not be implemented. Flood control would be a major benefit that would come through these projects, especially ones earmarked on river Brahmaputra.

Q: Do you think interlinking of water has hit a major roadblock in the country?

A: No, this is not the case. The excess water in the dams once they are built needs to be shifted to other dry basins to replenish them, mostly in the western and southern regions of the country. The 30 river-links being identified seek to take the excess water to dry areas. The studies on river linking projects started in 1982. These are time taking tasks. We should not lose hope.

Q: There has been an increase in water disputes between states. Do you see any prospects of these being ever resolved?

A: Because of the increase in population and requirements, water disputes have increased. There are many reasons for that. Cauvery is a water-short basin in the south. If there is a cooperative approach, then we can resolve these issues. The CWC has resolved many issues in the past. But once the tribunal has awarded a verdict, then all parties much accept it.

'द स्टेटस्मैन' नयी दिल्ली 16 जून 2018 (पृष्ठ 09)

श्री एन के माथुर, सदस्य (अभि. एवं अनु.) के ज आ 31 जुलाई 2018 को सांय 7.30 पर प्रसारित दूरदर्शन समाचार के सीधे प्रसारण पर

अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग 24 जुलाई 2018 को 6 से 7 बजे सांय के दौरान टेलीविजन पर जल संकट विषय पर प्रसारित सीधे प्रसारण पर

श्री वाई के शर्मा, सदस्य (नदी प्रबं.) के ज आ 14 जुलाई 2018 को 2.00 बजे राज्य सभा टेलीविजन के प्रसारण पर

गैलरी

पीपीए और केजीबीओ, केजआ द्वारा 27 जुलाई 2018 को पब्लिक पार्क में आयोजित मासिक स्वच्छता अभियान

केजआ, गुवाहाटी में 25 जुलाई 2018 को गूगल माडलिंग टीम के साथ बी एंड बीबीओ के अधिकारीगण

पोनानी, केरल में आईआईटी मद्रास व राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ केजआ के अधिकारीगण

एम एंड ईआरओ, केजआ, भुवनेश्वर में चतुर्थ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन

आईबीओ, केजआ, चंडीगढ़ में चतुर्थ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन

एनडब्ल्यूए, पुणे में 30वें आईटीपी के लिए प्रशिक्षण माड्यूल का प्रकाशन

आईटीपी में नियुक्त नए केन्द्रीय जल इंजीनियरिंग सेवा (ग्रुप ए) के अधिकारियों के 30वाँ प्रशिक्षण कार्यक्रम

राष्ट्रीय जल अकादमी, पुणे द्वारा प्रतिभागियों को ड्रोन आधारित टोपोग्राफिकल सर्वेक्षण का प्रदर्शन

सचिव, ज सं, न वि और गं सं मंत्रालय, भारत सरकार के नेतृत्व में 11 जुलाई, 2018 को आस्ट्रेलिया में आयोजित संयुक्त कार्य समुह की बैठक में शामिल प्रतिनिधि मंडल

सम्पूर्ण देश में जल संसाधनों की स्थिति के सबंध में अच्छे स्तर की रिपोर्ट की आवश्यकता को महसूस करते हुए जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय द्वारा एक 'वाटर एकाउन्टिंग प्लस' (**WA+**) प्रशिक्षण कार्यक्रम का सूत्रपात किया गया था जिसका एक प्रशिक्षण 12 मार्च 2018 से 08 जून 2018 के दौरान आईएचई-डेल्फ्ट, नीदरलैंड में संपन्न हुआ.

प्रशासनिक समाचार

पदोन्नति

- श्री ए एस पी सिन्हा, श्री आर के जैन और श्री एस के हलदर को वरिष्ठ प्रशासनिक (एसएजी) ग्रेड से उच्च प्रशासनिक ग्रेड (एचएजी) में पदोन्नत किया गया.
- दिनांक 29 जून 2018 के आदेश द्वारा केन्द्रीय जल इंजीनियरिंग (ग्रुप 'ए') सेवा के 90 जूनियर टाइम स्केल अधिकारियों (सहायक निदेशक/सहायक कार्यपालक अभियंता) को सीनियर टाइम स्केल अधिकारियों (उप निदेशक/कार्यपालक अभियंता) के स्तर पर पदोन्नत किया गया.
- दिनांक 31 जुलाई 2018 के आदेश द्वारा 78 सहायक निदेशक (ग्रेड-II)/उप मंडलीय अभियंताओं को जूनियर टाइम स्केल (सहायक निदेशक/सहायक कार्यपालक अभियंता) के स्तर पर पदोन्नत किया गया.

स्थानांतरण (निदेशक एव उससे ऊपर के स्तर पर)

क्रम सं	अधिकारी का नाम	पद	कहाँ से	कहाँ
1	श्री अशोक खार्या	मुख्य अभियंता	केजआ, मुख्यालय	टीबीओ, केजआ, सिलीगुड़ी
2	श्री योगेश पैथन्कर	मुख्य अभियंता	केजआ, मुख्यालय	एनडब्ल्यूए, पुणे
3	श्री अमरेन्द्र कुमार सिंह	मुख्य अभियंता	टीबीओ, सिलीगुड़ी	केजआ, मुख्यालय
4	श्री आदित्य शर्मा	निदेशक	एनडब्ल्यूए, पुणे	केजआ, मुख्यालय

नयी नियुक्तियाँ

- जून 2018 माह में 29 सहायक निदेशकों/ सहायक कार्यपालक अभियंताओं की नियुक्तियां की गईं.

केन्द्रीय जल आयोग (पूर्व में केन्द्रीय जल सिंचाई और नॅवीगेशन आयोग-सीडब्ल्यूआईएनसी) की स्थापना 1945 में, जब डाक्टर बी आर अम्बेडकर, वाइसराय कार्यकारी परिषद के श्रम सदस्य थे, हुई थी. उन्होने उस वक्त सीडब्ल्यूआईएनसी के बारे में भविष्यवाणी की थी कि :

"मेरी कल्पना है कि समय बीतने के साथ साथ यह निकाय एक बहुत बड़े संगठन के रूप में विकसित होगा जिसकी गतिविधियां सम्पूर्ण भारतवर्ष में फैलेंगी. इसकी सहायता और सलाह के लिए प्रत्येक प्रान्त और राज्य आतुर रहेगा ताकि किसी भी क्षेत्र के प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग अधिकतम लाभ और एकीकृत विकास के लिए किया जा सके."

प्रकाशक
जल प्रणाली अभियाँत्रिकी निदेशालय
केन्द्रीय जल आयोग
द्वितीय तल (दक्षिण) सेवा भवन
रामकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली-110 066
दूरभाष: 011 2958 3270/71
ई मेल: media-cwc@gov.in

केन्द्रीय जल आयोग
भारत सरकार
जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय
का एक सबद्ध कार्यालय

CWC.GOV.IN
CWCOfficial.GoI
CWCOfficial_GoI
CWCOfficial.GoI